

न्यायालय:- भारत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल

// निर्णय //

(आज दिनांक- 31/5/2020 को पारित किया गया)

01. आरक्षी केन्द्र ~~मिमांसा~~, जिला-भोपाल, म0प्र0 द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-36 (बी) के अधीन के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

02. अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-36 (बी) के अपराध की विशिष्टीयों पढ़कर सुनायी व समझायी गयी तों अभियुक्त ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-36 (बी) का अपराध कारित किया जाना स्वेच्छया स्वीकार किया है। अभियुक्त के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-36 (बी) के अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है।

03. अभियुक्त ने आज अपने अपराध की संस्वीकृती की है। अतः अभियुक्त के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति तथा अपराध की परिस्थितियों को देखते हुये उसे निम्न तालिका अनुसार दंड से दंडित किया जा रहा है:-

01	मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-36 (बी)	न्यायालय उठने तका का कारावास	200/-
----	---	------------------------------	-------

उपरोक्त अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को कमशः 05 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. प्रकरण में जप्तीपत्रक अनुसार जप्तशुदा सामग्री मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांकित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

भारत सिंह रघुवंशी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल, म0प्र0

भारत सिंह रघुवंशी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल, म0प्र0

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARATIYA NAGARIK
SURAKSHA SASNHITA, 2023

In the court of Bharat Singh Raghuwanshi, JMFC Bhopal

SUM-Case No. 5003/26

Complaint or report made on

02/03/26

Name and address of the complainant मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र

मिमरादे भोपाल

Name, parent, age, caste and address of accused

राशिद खान 10 अक्षर लहरे खान उम्र 26 वर्ष 10 मं. 1044
न्यू आरिफ नगर वसिपा रोड भोपाल (मि)

The offence complained of, its alleged commission

आपने दिनांक 21/3/26 को समय लगभग

9.0/30 बजे, स्थान-

डामरादे समूह

जो कि एक लोक स्थान है, पर मदिरापान करते हुए पाये गये।

इस प्रकार आपने वह जुर्म किया जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-36 (बी) के अधीन दण्डनीय है। क्या आप दोषी होने का अभिवाक करते हैं या प्रतिरक्षा चाहते हैं।

(भारत सिंह रघुवंशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भोपाल, 46000

The plea of the accused and his examination (if any)

21/3/26

(भारत सिंह रघुवंशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भोपाल, 46000